(५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 2270–एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 03.05.2013 पारित द्वारा तहसीलदार कुरवाई जिला विदिशा प्रकरण कमांक 35/अ–12/2014–15।

थान सिंह पुत्र स्व0 श्री भैरो सिंह
उम्र 70 वर्ष निवासी तहसील कुरवाई
जिला विदिशा (म.प्र.) .....आवेदक

विरुद्ध

जमना प्रसाद पुत्र श्री हरलाल
निवासी ग्राम घुरावली तहसील
कुरवाई जिला विदिशा (म.प्र.) .....अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अमित गुप्ता

अनावेदक – एक पक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 14/11/2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार तहसील कुरवाई जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 35/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2013 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 क तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक जमना प्रसाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे नं. 508/2/3 के सीमांकन हेतु

आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर पटवारी को सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए। इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक सरहदी काश्तकार है, उसे सीमांकन का कोई नोटिस नहीं दिया गया। सीमांकन पंचनामे पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं हैं। सीमांकन की सारी कार्यवाही संहिता की धारा 119 के प्रावधानों के विपरीत है जबकि सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। इस संबंध में उनके द्वारा न्याय दृष्टांत 1998 आर0एन0 106 उच्च न्यायालय का हवाला दिया गया है।

4. अनावेदकगण प्रकरण में एक पक्षीय हैं।

5. आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में सीमांकन की जो कार्यवाही की गई है वह विधि सम्मत नहीं है। संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के तहत सीमांकन की कार्यवाही सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में किया जाना चाहिए, जो इस प्रकरण में नहीं पाया जाता है। प्रकरण में जो सूचना–पत्र संलग्न है, वह सूचना–पत्र छः व्यक्तियों के नाम से जारी किया गया है, जिसमें आवेदक भी शामिल है, परंतु उक्त सूचना–पत्र पर केवल तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में की गई सीमांकन की कार्यवाही को न्यायिक एवं विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1998 आर0एन0 106 (उच्च न्यायालय) अवलोकनीय है। इस न्यायदृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 129–सीमांकन–हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आलोच्य आदेश दिनांक 03.05.2013

निरस्त किया जाता है एवं यह प्रकरण तहसीलदार कुरवाई जिला विदिशा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही उभयपक्ष एवं अन्य सरहदी काश्तकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिवत् रूप से करें।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर